निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (46)निकाशि/अनु/2012/542

दिनांक 27/6/12

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के हेतु आवंटित संकाय/विषयों सहित सत्र 2012–13 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है–

संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
विवेकानन्द विद्या आश्रम संस्था, कातर छोटी तहसील सुजानगढ जिला चुरू	विवेकानन्द विद्या आश्रम कॉलेज, कातर छोटी तहसील सुजानगढ जिला चुरू	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त– संस्कृत, भूगोल, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, लोक प्रशासन, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त– एसबीएसटी, ईएएफएम, बिजनेस एड0, कम्प्यूटर। विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त– गणित, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, कम्प्यूटर।

1. **संस्था प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।**
2. **छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**
3. मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी ।
4. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा ।
5. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
6. संस्था को यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
7. संस्था/ महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कोंसिल द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/ दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
9. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।